जबलपुर में साइबर ठगों का कहर

पुलिसकर्मी, डॉक्टर, व्यापारी समेत कई शिकार

साइबर ठगों ने खातों से उड़ाए करोड़ों रुपए, नौ एफआईआर दर्ज

जबलपुर, 19 फरवरी. जबलपुर में साइबर अपराध पर लगाम कसना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. ठग नए-नए हथकंडे अपनाकर लोगों के बैंक खातों से लाखों-करोड़ों रुपये पार कर रहे हैं. क्राइम ब्रांच सहित गोराबाजार, चरगवां, विजयनगर, कैंट, गोहलपुर और ग्वारीघाट थानों में धोखाधड़ी के नौ मामले दर्ज किए गए हैं.

गोराबाजार क्षेत्र में आरक्षक गौतम सिंह को स्मार्ट मीटर अपडेट और रिफंड के नाम पर झांसा देकर मोबाइल हैक कर 1.05 लाख रुपये उड़ा लिए गए. चरगवां के किराना व्यापारी विशद जैन के खाते से बिना ओटीपी साझा किए 2 लाख रुपये निकल गए, जिनमें से 48 हजार रुपये होल्ड कराए गए. विजयनगर में सेवानिवृत्त कर्मचारी अशोक कुमार झा से एसबीआई क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर 61 हजार रुपये ठगे गए. इसी तरह मंगेश धापोडकर से 1.70 लाख, फहीम राईन से करीब 2 लाख, स्वपनिलता कश्यप से 20 हजार और ग्वारीघाट निवासी ललाचंद दसानी से 3.60 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए गए.

> सबसे बड़ी ठगी शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर की गई. राजुल टाउनशिप निवासी डॉ. अहतेशम अहमद अंसारी से फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए 3.04 करोड़ रुपये जमा करवा लिए गए. रकम ऐप में बढ़ती दिखती रही, लेकिन निकालने पर नहीं मिली. विजयनगर में ही बसंती नेताम चौकसे से लोन दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपये से अधिक ठगे गए, जबकि कैंट क्षेत्र में एक अन्य पीड़ित के खाते से 1.71 लाख रुपये पार कर लिए गए. पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक, कॉल व ऐप से दूरी बनाने की अपील की है

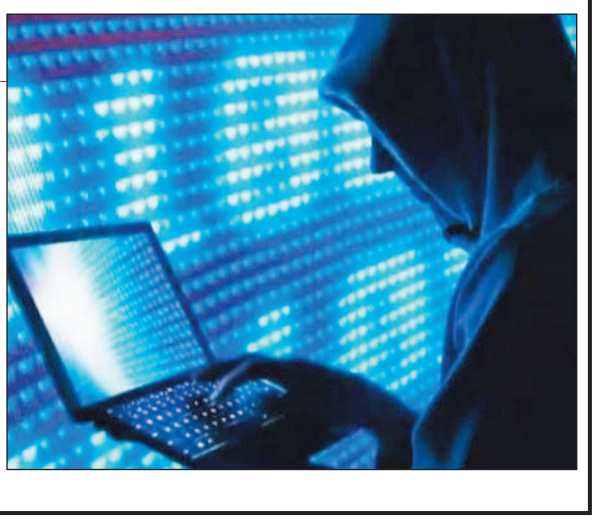

अवैध शराब बिक्री करने वाले 4 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत की कार्रवाई

जिले में 17 अनावेदकों के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

नवभारत न्यूज

खंडवा। पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेन्द्र तारणेकर के मार्गदर्शन मे दिनांक 18.02.26 को 13 गिरफ्तारी वारंट, 48 जमानती वारंट एवं 101 समन्स जिले के विभिन्न थानो के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए।

थाना पंधाना के आरोपी लक्ष्मी बाई पति सुरेश जाति लोढ़ा उम्र 35 साल निवासी ग्राम कोहदड़ के कब्जे से अवैध देशी प्लेन शराब के 31 पाव कीमती 2790/- रुपये जप्त की गई। थाना छैगाँव माखन के आरोपी बदरी पिता शेलु निहाल जाति निहाल उम्र 50 साल निवासी ग्राम सहेजला के कब्जे से अवैध देशी प्लेन शराब के 16 पाव कीमती 1280/- रुपये जप्त की गई। थाना हरसूद के आरोपी केवलराम पिता बिहारी धुर्वे जाति गौनद उम्र 54 साल निवासी ग्राम आशापुर के कब्जे से हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब 10 लीटर कीमती 1000/- रु जप्त की गई। थाना खालवा के आरोपी अनिल पिता धनपाल उईके जाति गोंड उम्र 28 साल निवासी कालापाठा के कब्जे से अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब 7 लीटर कीमती 700/- रु जप्त की गई।

एनडीपीएस के तीन आरोपियों की संपत्ति फ्रीज

नवभारत न्यूज

रतलाम। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित 78.50 करोड़ की अवैध संपत्तियों को सफेमा न्यायालय से फ्रीज कराने हेतु

तस्करी से अर्जित 78.50 करोड़ की अवैध संपत्तियां फ्रीज करने का दिया था आवेदन

भेजी गई, जिसमें से अभी तक 03 आरोपियों की 14.72 करोड़ की संपत्ति फ्रिज करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं।

मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर अभियान के तहत रतलाम पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को सफेमा के तहत फ्रीज कराने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों की कुल 78 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रिज करने के लिए सफ़ेमा न्यायालय प्रकरण भेजे गए थे। सफ़ेमा न्यायालय द्वारा 3 लोगों की कुल 14 करोड़ 72 लाख रुपए की संपत्ति फ्रिज करने के आदेश जारी किए गए है। गुमानसिंह की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.30 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख रुपए) फ्रिज करने के आदेश जारी किए है।भगवानसिंह तथा उसके परिवारजन के नाम कृषि भूमि — कुल क्षेत्रफल 10.6220 हेक्टेयर तथा पक्का मकान आलीशान 3887 वर्ग फीट, अनुमानित मूल्य 11,60,00,000 (ग्यारह करोड साठ लाख रुपये) की संपूर्ण संपति को फ्रिज करने के आदेश जारी किए है। गोपाल धाकड की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर भूमी अनुमानित मूल्य 01 करोड़ 82 लाख रुपए की फ्रिज करने के आदेश जारी किए।

फ्रीज की गई संपत्ति का विवरण

गुमानसिंह गुर्जर : 31 मार्च 2014 को अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक 168/2014, धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट एवं 34(2) आबकारी एक्ट (इजाफा धारा 25 एनडीपीएस एक्ट) में माननीय न्यायालय द्वारा कुल मिलाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए। गुमानसिंह की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.30 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख रुपए) फ्रिज करने के आदेश जारी किए है।

भगवान सिंह : डोडाचूरा को पीसकर पाउडर बनाकर संगठित रूप से तस्करी में लिप्त रहा। अपराध क्रमांक 187/2017, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एवं इजाफा धारा 29 एनडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है। भगवानसिंह तथा उसके परिवारजन के नाम कृषि भूमि — कुल क्षेत्रफल 10.6220 हेक्टेयर तथा पक्का मकान आलीशान 3887 वर्ग फीट, अनुमानित मूल्य 11,60,00,000 (ग्यारह करोड साठ लाख रुपये) की संपूर्ण संपति को फ्रिज करने के आदेश जारी किए है।

गोपाल : 7 नवंबर2013 को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक 311/2013, धारा 8/18,25,29 एनडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए। गोपाल धाकड की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर भूमी अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 82 लाख रुपए की फ्रिज करने के आदेश जारी किए।

सांदीपनि स्कूलों में मर्ज होंगे 55 प्राथमिक-माध्यमिक विद्यालय

शाजापुर, 19 फरवरी. जिले में शिक्षा की तस्वीर बदलने की तैयारी तेज हो गई है. बेहतर संसाधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लक्ष्य के साथ स्थापित सांदीपनि स्कूलों को अब विद्यार्थियों से भरने की कवायद शुरू हो गई है. शिक्षा विभाग ने 55 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की मर्ज सूची जारी कर दी है, जिससे आने वाले समय में जिले की स्कूली व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. जिले में कुल 6 सांदीपनि स्कूल भवन तैयार हो चुके हैं. इनमें अब तक केवल डॉ. भीमराव आंबेडकर सांदीपनि स्कूल में कक्षाएं संचालित हो रही थीं. शेष पांच स्कूलों में निर्माण पूर्ण होने और उद्घाटन के बाद अब कक्षाएं शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है. विभाग का मानना है कि मर्ज के बाद विद्यार्थियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं, विषय विशेषज्ञ शिक्षक और समृद्ध शिक्षण वातावरण मिलेगा. हालांकि मर्ज सूची को लेकर विसंगतियां भी सामने आई हैं.

आपातकाल में हुआ लोकतंत्र का अपहरण

भोपाल, 20 फरवरी. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि आपातकाल में जिस तरह से लोकतंत्र का अपहरण हुआ, इस विषय में जानने की सबसे ज्यादा जरूरत युवाओं को है।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने राष्ट्रीय विमर्श में कहा-

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र लंबे समय के संघर्ष के बाद स्थापित हुआ और देश की बेहतरी के लिए हुआ था। देश को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाकर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए हुआ था, जिससे दुनिया में शांति की स्थापना हो सके और हम लोकतंत्र को अमर बना सकें। उप मुख्यमंत्री शुक्ल गुरुवार को भोपाल में हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी और सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में आयोजित देश में आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 'आपातकाल और युवा' विषय पर केंद्रित राष्ट्रीय विमर्श को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्ता के सदुपयोग और दुरुपयोग में क्या अंतर होता है यह हम सभी ने देखा। जब सत्ता का दुरुपयोग होता है तो स्थिति विकट हो सकती है, ये आपातकाल में हम लोगों ने देखा। जनता के आशीर्वाद से मिली हुई सत्ता इस बात के लिए नहीं है कि जो कुर्सी हमारे हाथ से जाने का खतरा आ जाए और वह भी उच्च न्यायालय के आदेश पर, तो हम ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि लाखों लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया जाए, प्रताड़ना दी जाए, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाए इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती।

एक नजर में

विजयवर्गीय का पुतला दहन कर जताया आक्रोश

जबलपुर. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर की गई अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित कांग्रेसियों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का मालवीय चौक में पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि कुंठित मानसिकता से ग्रसित, इंदौर में दूषित पानी से मौतों के जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार के बदजुबान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा विधान सभा में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी से कांग्रेस जनो में रोष व्याप्त है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगने की मांग की। उपस्थिति नेताओं ने ये भी कहा कि भाजपा के मंत्री सत्ता के नशे में चूर होकर बदजुबानी करते है। भाजपा को ऐसे बदजुबान मंत्री को तत्काल मंत्री मंडल से बाहर किया जाना चाहिए। पुतला दहन में जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, अयोध्या तिवारी ,अनुराग गढ़वाल, प्रवीण चौहान ,पवन कनौजिया, सिद्धांत जैन,रितेश मोटवानी, अमित पांडे के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

3.4 करोड़ की लगाई चपत

जबलपुर. शेयर मार्केट में इनवेस्ट करके अधिक लाभ दिलाने और शेयर मार्केट में आईपीओ अलाटमेंट के नाम पर डाक्टर से 3, 04, 82, 800 की धोखाधड़ी कर रकम ठग ली गई. आरोपी ने शेयर मार्केट में प्रतिदिन 15-20 प्रतिशत लाभ का लालच देकर धोखाधड़ी की है. क्राइम ब्रांच ने डा. अहतेशम अहमद अंसारी पिता शमीम अहमद अंसारी 45 साल निवासी ए 40 राजुल टाउन शिप फेस वन मंडला रोड तिलहरी गोराबाजार की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

55 पाव देशी-विदेशी शराब जब्त

सिंगरौली. आबकारी विभाग ने वृत्त देवसर के अंतर्गत अवैध शराब के संग्रहण एवं विक्रय की सूचना मिलने पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही किया है। बताया गया कि कार्यवाही के दौरान ग्राम जियावन व डोंगा में दबिश के दौरान आरोपी ललन गुर्जर व राकेश साहू के रिहायशी मकान व दुकान से कुल 4 पाव गोवा व्हिस्की, 55 पाव देसी मदिरा मसाला, 16 केन बियर बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जप्त सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 8207 रुपये हैं।

67 की उम्र में अटूट आस्था का संकल्प

नवभारत न्यूज

ओंकारेश्वर। मां नर्मदा की परिक्रमा सदियों से आस्था, तप, संयम और नियम का अद्भुत संगम मानी जाती है। हजारों-लाखों श्रद्धालु हर वर्ष नर्मदा परिक्रमा कर मां के चमत्कारों और आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करते हैं। यह परिक्रमा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि मां नर्मदा को जीवन साथी मानकर किया जाने वाला कठिन तप है। इसी आस्था की मिसाल इंदौर के 67 वर्षीय नरेंद्र कसेरा ने पेश की है, जिन्होंने साइकिल से अपनी चौथी नर्मदा परिक्रमा पूरी कर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में यात्रा का समापन किया।

इंदौर के आदर्श इंदिरा नगर निवासी नरेंद्र कसेरा 3 नवंबर को अपने निवास स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से 'नमामि नर्मदे' के जयघोष के साथ मां नर्मदा और भगवान नर्मदेश्वर को साइकिल पर विराजमान कर चौथी परिक्रमा यात्रा पर निकले थे। कई महीनों की कठिन साधना और तपस्या के बाद बुधवार को उनकी यह पवित्र यात्रा ओंकारेश्वर पहुंचकर पूर्ण हुई।

प्रतिदिन 25-30 किमी की साइकिल यात्रा : नरेंद्र कसेरा पूरी परिक्रमा साइकिल से करते हैं। वे रोज सुबह 8 बजे यात्रा शुरू करते, प्रतिदिन लगभग 25-30 किलोमीटर साइकिल चलाते और दोपहर में विश्राम के बाद आगे बढ़ते। दूरी का अनुमान वे रास्ते के संकेतक बोर्डों से लगाते रहे और स्थानीय लोगों से मार्ग पूछकर यात्रा जारी रखी।

नर्मदा परिक्रमा का महत्व : नर्मदा परिक्रमा लगभग 3600 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा मानी जाती है, जिसमें श्रद्धालु मां नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से निकलकर समुद्र संगम तक और पुनः वापस उद्गम तक नदी के किनारे-किनारे चलते हैं। इस परिक्रमा में कठोर नियमों का पालन किया जाता है—

- प्रतिदिन स्नान, ध्यान और पूजा
- सात घरों से भिक्षा ग्रहण
- संयम और सादगी का जीवन
- नर्मदा पर पुल पार न करना

नरेंद्र कसेरा ने पूरी यात्रा के दौरान इन सभी नियमों का कठोरता से पालन किया। रात्रि विश्राम वे पेट्रोल पंप या टोल नाकों पर करते और वहीं मोबाइल चार्ज करते थे।

शिवलिंग स्थापना का संकल्प : नर्मदा परिक्रमा के दौरान नरेंद्र कसेरा शिवलिंग स्थापना का संकल्प भी निभाते हैं। वे नर्मदा तट से शिवलिंग लेकर विभिन्न स्थानों पर स्थापना कर चुके हैं। जामनगर क्षेत्र के मनकामेश्वर मंदिर, गंगेश्वर महादेव और चंद्रमौलेश्वर मंदिर में उन्होंने शिवलिंग स्थापित किए हैं।

सेवा और भक्ति को समर्पित जीवन : पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद नरेंद्र कसेरा ने जीवन का शेष समय धर्म, भक्ति और समाज सेवा को समर्पित कर दिया है। उनका मानना है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य भगवान की सेवा और समाज के कल्याण में योगदान देना है।

चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और कई धार्मिक यात्राएं

नरेंद्र कसेरा इससे पहले भी देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की साइकिल यात्रा कर चुके हैं।

उनकी प्रमुख यात्राओं में शामिल हैं ...

- चार बार नर्मदा परिक्रमा
- चार धाम यात्रा
- 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन
- रामदेवरा व द्वारकाधीश यात्रा

पवित्रता भंग होने पर जैन समाज में आक्रोश

नवभारत न्यूज

रतलाम। शहर में स्थित श्री शांतिनाथ जैन मंदिर (बागड़ो का वास) में पिछले दिनों हुई गतिविधियों को लेकर जैन समाज ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी जैन श्वेतांबर पेढ़ी ट्रस्ट बोर्ड और सकल जैन श्री संघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं ज्ञापन के माध्यम से बताया कि यह मंदिर 400 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जहाँ जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अत्यंत शुद्धता और मर्यादा का पालन किया जाता है। समाज का आरोप है कि 15 फरवरी 2026 को शिवरात्रि के पर्व पर प्रशासन की उपस्थिति में कुछ लोगों द्वारा मंदिर परिसर में खान-पान किया गया और जूठे मुंह मंदिर की मर्यादा भंग की गई। साथ ही, जैन धर्म में वर्जित 'जमीकंद' (कंदमूल) का उपयोग मूर्तियों के समक्ष किया गया, जिससे संपूर्ण जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। सकल जैन श्री संघ के वरिष्ठजनों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मंदिर परिसर में गैर-जैन धर्मावलंबियों द्वारा इस प्रकार की अवांछित गतिविधियां नहीं रोकी गईं, तो जैन समाज स्वयं आगे आकर सख्त कदम उठाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

सीएमओ नीता जैन और लिपिक को 4 साल कठोर कारावास की सजा

रतलाम/जावरा। करीब पांच वर्षों की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने रिश्वत मांगना और लेना प्रमाणित माना और दोनों को 4-4 साल कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। नगरपालिका जावरा का रिश्वतकांड पर रतलाम की विशेष अदालत ने तत्कालीन सीएमओ नीता जैन और लिपिक विजयसिंह शक्तावत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बताते चले कि, शिकायतकर्ता सिविल ठेकेदार पवन भावसार ने नगरपालिका में कई निर्माण कार्य किए, कब्रिस्तान, मालीपुरा नाली, गुलशन टॉकीज की सीसी रोड और रतलामी गेट की नाली। काम के बदले 1,23,000 की सिक्योरिटी एफडी जमा थी, जिसमें करीब 60,000 का भुगतान बकाया था। एफडीआर रिलीज कराने पहुंचे ठेकेदार से कथित रूप से 3 प्रतिशत कमीशन मांगा गया। बातचीत बाबू विजय सिंह के माध्यम से हुई और करीब 20,000 में डील तय हुई। भावसार ने रिकॉर्डिंग के साथ उज्जैन लोकायुक्त में शिकायत कर दी। 12 मार्च 21 को नगरपालिका कार्यालय के बाहर 18,500 रुपए की रिश्वत दी गई। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने 10 सदस्यों की टीम के साथ पहुंचकर दबिश दी और 500 रुपए के 37 नोट बरामद हुए, केमिकल टेस्ट में बाबू के हाथ लाल पाए गए लेकिन यह रकम सीएमओ के लिए आई थी। लोकायुक्त ने नीता जैन को मुख्य आरोपी और विजय सिंह को सह-आरोपी बनाया। लोकायुक्त ट्रैप के करीब दो महीने बाद 18 मई 2021 को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के तत्कालीन उपसचिव डॉ. अभिताभ अवस्थी ने आदेश जारी करते हुए सीएमओ नीता जैन को सहायक आयुक्त, नगर निगम उज्जैन तथा बाबू विजय सिंह शक्तावत को नगर पालिका मंदसौर भेज दिया था।

5 वर्षों की सुनवाई के बाद रतलाम की विशेष अदालत ने सुनाई सजा

तीन नायब तहसीलदारों का दो दिवस का वेतन रोकने के आदेश

शाजापुर, 19 फरवरी. कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा विगत 17 फरवरी को फार्मर रजिस्ट्री अंतर्गत समस्त भूधारी के फार्मर पंजीयन एवं उनकी समस्त भूमि फार्मर पंजीयन कार्य की समीक्षा की गई. उक्त समीक्षा में जिले के 3 नायब तहसीलदारों जिनमें नायब तहसीलदार बेरछा जितेन्द्र चोरसिया, नायब तहसीलदार मोमन बडोदिया मुकेश गुप्ता एवं नायब तहसीलदार सुंदरसी घनश्याम लौहार का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनके माह फरवरी 2026 के वेतन से 02 दिवस का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं.

महोत्सव

नवग्रह प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के नौवें दिन लगा दिव्य दरबार

भगवान से प्रेम का अर्थ आस्था, भगवान आपसे प्रेम करें ये भक्ति

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 19 फरवरी. नवग्रह प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के नौवें दिन गुरूवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र शास्त्री ने हनुमानजी का दिव्य दरबार लगाया, जिसमें पीड़ित रोते हुए आए और हनुमानजी की कृपा से हंसते हुए गए.

इस दौरान प्रेतबाधा से पीड़ित लोगों को बजरंगबली के बल से बाधामुक्त किया गया. हनुमंत कथा के विश्राम दिवस पर पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आप भगवान से प्रेम करो ये आस्था है, लेकिन भगवान आपसे प्रेम करे, ये भक्ति है. जो सच्चे मन से

भगवान को भजता है, उसे ये दुर्लभ भक्ति प्राप्त हो जाती है. विश्राम दिवस की कथा में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, विधायक संजय पाठक प्रमुख रूप से शामिल हुए.

उन्होंने हजारों लोगों से भरे कथा पंडाल में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल जो कुछ नहीं कर पाता, वो बाबा बन जाता है. भगवा धारण कर और रुद्राक्ष पहनकर बाबा बनना तो सरल है, लेकिन ईश्वर के भजन में खुद को तल्लीन कर बाबा हो जाना कठिन हैं. हनुमानजी से प्रेम करना सरल है, लेकिन हनुमानजी जी आपसे प्रेम करे ये कठिन हैं, ये तभी होता है जब बजरंगबली की कृपा पर किसी प्रकार का संशय नहीं होता. जिस प्रकार बजरंगबली ने श्रीराम की भक्ति बिना किसी संशय के की, वैसे ही आप बजरंगबली से बिना किसी संशय के प्रेम करेंगे तो उनकी भक्ति के बल से आप श्रीराम तक जरूर पहुंच जाएंगे.

> बागेश्वर महाराज ने कहा कि संसार के जजों को न्यायाधीश कहते हैं. बागेश्वर हनुमानजी को भी जज कहते हैं. संसार के न्यायधीश भूल कर सकते हैं,लेकिन द्वारिकाधीश कभी भूल नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि अफसरों को कलम फंसने का डर सताता है और नेताओं को कुर्सी जाने का डर सताता है, लेकिन डॉ नरोतम मिश्रा के पास तो कुर्सी है ही नहीं. इसके उन्हें किसी का डर नहीं हैं. कुर्सी जाने के बाद वो अभूतपूर्व काम करके दिखाया है, जिसके लिए उन्हें सदियों तक लोग याद करेंगे.

राइट टाउन प्रॉपर्टी की लीज निरस्त

जबलपुर,19 फरवरी. राइट टाउन स्थित करीब 60 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन के मामले में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है.

प्लॉट क्रमांक 51 (क्षेत्रफल 25,047 वर्गफीट) की लीज को निरस्त कर दिया गया है. 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बावजूद कोई भी पक्ष मालिकाना हक के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने सामने नहीं आया. इसके बाद निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने लीज रद्द करने के आदेश जारी किए. जमीन पर वैधानिक कब्जे के लिए एसडीएम को ताला खुलवाने पत्र भेजा गया है.

यह मामला डॉ. हेमलता श्रीवास्तव से जुड़ा है. उनके निधन के बाद जमीन के हिस्सों को दानपत्र और वसीयत के जरिए हस्तांतरित किए जाने का दावा किया गया था. निगम जांच में सामने आया कि वर्ष 2020-21 से लीज भू-भाड़ा जमा नहीं किया गया और लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ. शर्त क्रमांक 6 के तहत निगम को पुनः प्रवेश का अधिकार सुरक्षित था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई.

निगम करेगा कब्जा

मामले में रजिस्ट्री कार्यालय की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि लीज भूमि होने के बावजूद दस्तावेज तैयार कर संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई. एसडीएम स्तर पर फर्जी वसीयत और नामांतरण की जांच जारी है. दोषियों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि अब उक्त जमीन पर नगर निगम का अधिपत्य रहेगा और पूरी प्रक्रिया वैधानिक रूप से की जा रही है.